शासनादेश संख्या-879 औ0वि0वि0/2009-10/

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0।
औद्योगिक विकास विभाग के समस्त निगमो के प्रबंध निदेशक।

औद्योगिक विकास विभाग-6 लखनऊ :: 11 मई, 2009

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1491/2000-01, दिनांक 29 सितम्बर, 2000 के द्वारा प्रदेश में उद्योगो के लिए हर स्तर पर मित्रतापूर्ण वातावरण विकसित कराये जाने एवं नवीन उद्योगो की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कराये जाने के संबंध में नवीन प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व विभिन्न स्तरो के अधिकारियो को आवंटित किये जाने की व्यवस्था की गयी थी ताकि प्रत्येक परियोजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारी की हो जो प्रस्ताव प्राप्त होने से उत्पादन प्रारम्भ होने तक उद्यमी को न केवल निरन्तर मार्गदर्शन प्रदान करे बल्कि उसकी ओर से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संपर्क स्थापित करे, स्वीकृतियॉ निर्गत कराये और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसका त्वरित गति से प्रभावी निराकरण करायें। इसके लिए एस्कार्ट सेवायें उद्यमियो को प्रदान की गयी थी। किन्तु यह देखा जा रहा है कि यह एस्कार्ट सेवायें उद्यमियो को सुचारू रूप से उपलब्ध नही हो पा रही है। अतएव यह निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या-1491, दिनांक 29 सितम्बर, 2000 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाए ताकि नवीन उद्योगो की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कराया जा सके।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्या-1591/2000-01/

प्रेषक,

डॉ० योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
समस्त मण्डलायुक्त / ज़िलाधिकारी।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०।
औद्योगिक विकास विभाग के समस्त निगमों के प्रबंध निदेशक।

औद्योगिक विकास अनुभाग - ६ लखनऊ : दिनांक : सितम्बर 29, 2000

महोदय,

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगीकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है तथा राज्य को उद्योग प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने का संकल्प लिया गया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है, कि उद्योगों के लिये हर स्तर पर मित्रतापूर्ण वातावरण विकसित किया जाए तथा नवीन उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इस संदर्भ में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये विद्यमान facilitation की व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने का निर्णय, राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

सम्प्रति, वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों द्वारा इच्छा-पत्र एवं आशय-पत्र भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में दाखिल किये जाते हैं। इन प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उद्योग बन्धु द्वारा इसकी सूचना, सम्बंधित परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग तथा महा प्रबन्धक, ज़िला उद्योग केन्द्रों को नियमित तौर पर उपलब्ध कराई जाती है। उद्यमी को प्रारम्भिक रूप से स्वागत करने का कार्य, उद्योग बन्धु द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस व्यवस्था को और अधिक विकेन्द्रित करते हुए, नवीन प्रस्तावों को क्रियान्वित् करने का उत्तरदायित्व विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को आवण्टित किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि, प्रत्येक परियोजना को क्रियान्वित् करने की जिम्मेदारी, specific अधिकारी की हो, जो प्रस्ताव प्राप्त होने से उत्पादन प्रारम्भ होने तक, उद्यमी को न केवल निरन्तर मार्गदर्शन प्रदान करे, बल्कि उसकी ओर से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सम्पर्क स्थापित करके स्वीकृतियाँ हासिल करे एवं यदि कोई समस्या उत्पन्न हो, तो उसका त्वरित गति से प्रभावी निराकरण करे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया गया है :-

१- रु.१-से-१० करोड़ तक के निवेश के प्रस्तावों को क्रियान्वित् कराने का दायित्व ज़िलाधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा। ज़िलाधिकारी द्वारा यह escort services स्वयं प्रदान की जाएंगी तथा यह दायित्व किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिधानित नहीं किया जाएगा।

२- रु.१०-से-२५ करोड़ तक के समस्त निवेश के प्रस्तावों को escort करने का कार्य परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा किया जाएगा।

३- समस्त मण्डलायुक्तों द्वारा मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठकें प्रतिमाह करके, अपने क्षेत्र से सम्बंधित इच्छा-पत्रों/आशय-पत्रों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी तथा नवीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण प्रभावी तौर पर कराया जाएगा।

४- रु.२५ करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को उच्च स्तरीय escort services प्रदान करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग के विभिन्न संगठनों जैसे- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं पिकप के चयनित अधिकारियों का एक pool गठित किया जाएगा, जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं को escort करने की जिम्मेदारी औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा आवण्टित की जाएगी। यह अधिकारी अपने मूल संगठन में ही कार्यरत् रहेंगे, किन्तु escort services के कार्य का अनुश्रवण करने के लिये इनका समन्वय अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा किया जाएगा।

५- रु.५० करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को escort करने का कार्य औद्योगिक विकास आयुक्त के अधीन कार्यरत् सचिवों तथा अन्य संगठनों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि escort services का तात्पर्य, केवल समस्या उत्पन्न होने पर, इसका समाधान कराने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा, कि Escort Officer औद्योगिक इकाई के लिये सभी सम्बंधित विभागों से स्वीकृतियाँ प्राप्त करेगा अथवा उन्हें प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा। Escort Officer का दायित्व इकाई द्वारा उत्पादन में आने पर ही पूर्ण माना जाएगा।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

योगेन्द्र नारायण

(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव